



# Haryana Government Gazette

## EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 97-2018/Ext.] CHANDIGARH, THURSDAY, JUNE 7, 2018 (JYAISTHA 17, 1940 SAKA)

हरियाणा सरकार

पशुपालन एवं डेयरिंग विभाग

अधिसूचना

दिनांक 7 जून, 2018

**संख्या 5181(CPMS)—प०पा०—2—2018—11543.**— भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 (1984 का 52) की धारा 32 की उपधारा (1) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा निम्नलिखित सदस्यों को शामिल करते हुए, हरियाणा पशु चिकित्सा परिषद् को स्थापित करते हैं, अर्थात्:—

(अ) 1. डॉ० कुलवंत सिंह चहल,  
मकान नं० 170ए, बहरा इंकलेव, पश्चिम विहार,  
नई दिल्ली (पंजीकरण संख्या :- एच०वी०सी० 0719)

2. डॉ० जगदीप यादव,  
मकान नं० ए-236, प्रथम तल, बलोसम 1, गुड़गांव  
(पंजीकरण संख्या :- एच०वी०सी० 0780)

3. डॉ० शक्ति सिंह,  
मकान नं० 1181/7, करनाल  
(पंजीकरण संख्या :- एच०वी०सी० 0114)

4. डॉ० धर्मवीर सिंह,  
गांव एवं डाकखाना उडन, सिरसा  
(पंजीकरण संख्या :- एच०वी०सी० 1890)

इनका चुनाव धारा 32 (1) (क) के अधीन किया गया है।

(आ) 1. अध्यक्ष, पशु चिकित्सा विज्ञान,  
लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान  
विश्वविद्यालय, हिसार

पदेन—सदस्य

- (इ) 1. डॉ० नरेन्द्र यादव,  
उपनिदेशक, पशुपालन एवं डेयरिंग, मेवात (नूंह)  
(पंजीकरण संख्या :- एच०वी०सी० 1513)
2. डॉ० नीलम आर्य,  
उपमण्डल अधिकारी, पशुपालन एवं डेयरिंग,  
फरीदाबाद (पंजीकरण संख्या :- एच०वी०सी० 641)
3. डॉ० दलीप सांगवान,  
उपनिदेशक, पशुपालन एवं डेयरिंग (सेवानिवृत्त),  
चरखी दादरी (पंजीकरण संख्या :- एच०वी०सी० 505)
- (ई) महानिदेशक, पशुपालन एवं डेयरिंग विभाग, हरियाणा,  
पंचकूला पदेन-सदस्य
- (उ) डॉ० श्री भगवान सुपुत्र श्री दरियाव सिंह,  
पशु चिकित्सक प्रभारी, पशु चिकित्सालय खरखोदा,  
सोनीपत (पंजीकरण संख्या :- एच०वी०सी० 1350) धारा 32 (1) (ड) के अधीन राज्य पशुचिकित्सा संघ  
द्वारा मनोनीत
- (ऊ) रजिस्ट्रार, हरियाणा पशु चिकित्सा परिषद् पदेन-सदस्य
2. यह परिषद् भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 के उपलब्धों के अनुसार कार्य करेगी जैसे कि हरियाणा पशु चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 परिषद् द्वारा अपनाये गये हैं।
3. हरियाणा पशु चिकित्सा परिषद् का मुख्यालय पंचकूला में होगा तथा इसका कार्यकाल भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 की धारा 38 के उपलब्धों के अनुसार, राजपत्र में, इस अधिनियम के जारी करने की तिथि से होगा।
4. परिषद् की वर्ष में कम से कम दो बैठक परिषद् द्वारा नियत समय तथा स्थान पर होंगी तथा बैठको की कार्यवाही का विवरण सीधे सरकार को भेजा जाये।

एस० के० गुलाटी,  
अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,  
पशुपालन एवं डेयरिंग विभाग।

## HARYANA GOVERNMENT

### ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING DEPARTMENT

#### Notification

The 7th June, 2018

**No. 5181 (CPMS)-AH-2-2018/11543.**— In exercise of the powers conferred by Sub section (1) of Section 32 of the Indian Veterinary Council Act, 1984 (52 of 1984), the Governor of Haryana hereby establishes the Haryana Veterinary Council, consisting of the following members, namely:-

- (A) 1. Dr. Kulwant Singh Chahal,  
H. No. 170, Bahra Enclave, PashchimVihar,  
New Delhi (Registration No.: HVC 0719)
2. Dr. JagdeepYadav,  
H.No. A-236, FF, Blossom I, Gurgaon  
(Registration No.: HVC 0780) Elected under Section H.No. A-32 (1) (a)
3. Dr. Shakti Singh,  
H.No. 1181/7, Karnal  
(Registration No.: HVC 0114)
4. Dr. Dharmvir Singh,  
VPO, Odhan, Sirsa (Registration No.: HVC 1890)

- |     |  |   |
|-----|--|---|
| (B) | 1. Dean, College of Veterinary Sciences,<br>Lala Lajpat Rai University of Veterinary and Animal<br>Sciences, Hisar   | Ex-Officio Member   |
| (C) | 1. Dr. Narender Yadav,<br>Deputy Director, Animal Husbandry & Dairying,<br>Nuh, Mewat (Registration No.: HVC 1513)<br>2. Dr. Neelam Arya,<br>Sub Divisional Officer, Animal Husbandry<br>Department, Faridabad<br>(Registration No.: HVC 641)<br>3. Dr. Dalip Sangwan,<br>Deputy Director (Retired), CharkhiDadri<br>(Registration No.: HVC 505) | Nominated by State Government under<br>Section 32 (1) (c)             |
| (D) | Director General, Animal Husbandry & Dairying,<br>Haryana, Panchkula   | Ex-Officio Member   |
| (E) | Dr. Shreebhagwan S/o Sh. Daryao Singh,<br>Veterinary Surgeon, GVH Kharkhoda,<br>Sonipat(Registration No.: HVC 1350)  | Nominated by State Veterinary Association<br>under Section 32 (1) (e) |
| (F) | Registrar,<br>Haryana Veterinary Council   | Ex-Officio Member   |
2. This Council will function as per the provisions in Indian Veterinary Council Act, 1984 as such adopted by Haryana Veterinary Council.
  3. The Head-Quarter of the Haryana Veterinary Council will be at Panchkula and its term of office will be as per the provisions of Section 38 of the Indian Veterinary Council Act, 1984 from the date of issue of this notification in the Official Gazette.
  4. The Council shall meet at least twice in a year at such time and place as may be appointed by the Council and the minutes of meetings will be sent, direct to the State Government.

S. K. GULATI,  
Additional Chief Secretary to Government Haryana,  
Animal Husbandry and Dairying Department, Haryana.